

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 21.01.2025

क्रमांक रीडर/2025/213
प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कौशलाराम पुत्र पुरखाराम
जाति जाट निवासी कुम्भावास
ग्राम पंचायत गालाबेरी
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 मेगाराम पुत्र सुखाराम 2 राताराम 3 अचलाराम पिसरान
पुरखाराम 4 हनुमानराम पुत्र हुकमाराम 5 नैनुदेवी पत्नी
शिवजीराम 6 जसाराम 7 अन्नाराम पिसरान शिवजीराम 8
मांगीदेवी पत्नी गुणेशाराम जाति जाट निवासी कुम्भावास
(गालाबेरी) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 99/2023

दिनांक- 15/01/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कुम्भावास पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला
बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 877/388 रकबा 3.3346 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/214-17

दिनांक- 21.01.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी कौशलाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कुम्भावास ग्राम पंचायत गालाबेरी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मेगाराम पुत्र सुखाराम वगैराह निवासी जाति जाट निवासी कुम्भावास ग्राम पंचायत गालाबेरी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

